

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठारिीन अधिकारी :-श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

गि0न0 - 150/2022

1. अनील पुत्र भीमसिंह जाति जाट निवारी डोभी तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम


1. सुन्दरदेवी पत्नी ख्यालीराम जाति जाट निवारी हाल कलाना तहसील भादरा।
2. शकुन्तला पुत्री ख्यालीराम पत्नी भागीरथ जाति जाट निवारी हाल गढीछानी तहसील भादरा।
3. भीमसिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवारी डोभी तहसील भादरा।
4. विहान पुत्र विकास पुत्र भीमसिंह आयु 7 वर्ष नावालिगान वली जरिये कुदरती माता पुनम पत्नी विकास जाति जाट हाल निवारी गणेशपुरावारा भादरा तहसील भादरा।
5. निशान्त पुत्र विकास पुत्र भीमसिंह आयु 7 वर्ष नावालिगान वली जरिये कुदरती माता पुनम पत्नी विकास जाति जाट हाल निवारी गणेशपुरावारा भादरा तहसील भादरा।
6. बैंक ऑफ वडौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कपूरचंद शर्मा व प्रतिवादीगण सं0 4 व 5 की ओर से वकील श्री राजेन्द्र गोयल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोप स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा ग्राम डोभी के चक 12 वीएचडी के खाता सं0 11/14 के मु0 न0 23 के किला न0 24, 25/1, 25/2, मु0 न0 25 के किला न0 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 22, 23, 24, 25/1, 25/2 कुल रकबा 3.7950है0 जिसमें नहरी 3.6450है0, गै0 मु0 खाला 0.150है0 कृषि भूमि ख्यालीराम के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से ख्यालीराम पुत्र नानू का नाम कलमजन किया जाकर वादी अनील पुत्र भीमसिंह को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 4 विहान व प्रतिवादी सं0 5 निशान्त को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा नावालिगान जरिये माता पूनम पत्नी विकास को खातेदार काश्तकार व रोही मौजा डोभी वारानी के खाता सं0 24/24 के मु0 न0 142 के किला न0 10, 11, 21, 22, मु0 न0 143 के किला न0 6, 7, 8, 9, 12 ता 19, 22 ता 25, मु0 न0 159 के किला न0 4, 5, मु0 न0 160 के किला न0 1, मु0 न0 181 के किला न0 10, 11, 12, 13, 18 ता 21, मु0 न0 182 के किला न0 6, 7, 8, 13 ता 17, 24, 25 कुल रकबा 10.2980है0 वारानी में ख्याली के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से ख्यालीराम पुत्र नानू का नाम कलमजन किया जाकर वादी अनील पुत्र भीमसिंह को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 4 विहान व प्रतिवादी सं0 5 निशान्त को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा नावालिगान जरिये माता पूनम पत्नी विकास को खातेदार काश्तकार व रोही मौजा डोभी वारानी के खाता सं0 174/167 के मु0 न0 143 के किला न0 2, 3, 4, 5, मु0 न0 182 के किला न0 9 ता 12, 18 ता 23, मु0 न0 183 के किला न0 6, 7, 14 ता 17, 25 मु0 न0 184 के किला न0 5, मु0 न0 185 के किला न0 1, 2, 3, कुल रकबा 5.6420है0 वारानी गैर खातेदारी में ख्याली के नाम 1/2 हिस्सा गैर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से ख्यालीराम पुत्र नानू का नाम कलमजन किया जाकर वादी अनील पुत्र भीमसिंह को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 4 विहान व प्रतिवादी सं0 5 निशान्त को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा नावालिगान जरिये माता पूनम पत्नी विकास के अनुसार गैर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं व वादभूमि बैंक के रहन होने के कारण उक्त बैंक रहन को वादी अनील व प्रतिवादी सं0 4 व 5 कमशः विहान व निशान्त के हिस्से पर हिस्सानुसार स्थानान्तरित किया जावे। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से

जारी की गई।



(कल्पित शिवरान)

राजस्व, P.A.S

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि०न० - 150 / 2022

अनवान :-

1. अनील पुत्र भीमसिंह जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।

:-वादी

बनाम

1. सुन्दरदेवी पत्नी ख्यालीराम जाति जाट निवासी हाल कलाना तहसील भादरा।
2. शकुन्तला पुत्री ख्यालीराम पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी हाल गढीछानी तहसील भादरा।
3. भीमसिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी डोभी तहसील भादरा।
4. विहान पुत्र विकास पुत्र भीमसिंह आयु 7 वर्ष नावालिगान वली जरिये कुदरती माता पुनम पत्नी विकास जाति जाट हाल निवासी गणेशपुरावास भादरा तहसील भादरा।
5. निशान्त पुत्र विकास पुत्र भीमसिंह आयु 7 वर्ष नावालिगान वली जरिये कुदरती माता पुनम पत्नी विकास जाति जाट हाल निवासी गणेशपुरावास भादरा तहसील भादरा।
6. बैंक ऑफ बडौदा शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188

राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपरिस्थिति :- श्री कपूरचंद शर्मा वादी

श्री राजेन्द्र गोयल 4 व 5 प्रतिवादीगण

दिनांक: 9/06/25

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा ग्राम डोभी के चक 12 बीएचडी के खाता सं० 11/14 के मु० न० 23 के किला न० 24, 25/1, 25/2, मु० न० 25 के किला न० 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 22, 23, 24, 25/1, 25/2 कुल रकबा 3.7950 है० जिसमें नहरी 3.6450 है०, गै० मु० खाला 0.150 है० कृषि भूमि ख्यालीराम के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी व रोही मौजा डोभी बारानी के खाता सं० 24/24 के मु० न० 142 के किला न० 10, 11, 21, 22, मु० न० 143 के किला न० 6, 7, 8, 9, 12 ता 19, 22 ता 25, मु० न० 159 के किला न० 4, 5, मु० न० 160 के किला न० 1, मु० न० 181 के किला न० 10, 11, 12, 13, 18 ता 21, मु० न० 182 के किला न० 6, 7, 8, 13 ता 17, 24, 25 कुल रकबा 10.2980 है० बारानी में ख्याली के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी व रोही मौजा डोभी बारानी के खाता सं० 174/167 के मु० न० 143 के किला न० 2, 3, 4, 5, मु० न० 182 के किला न० 9 ता 12, 18 ता 23, मु० न० 183 के किला न० 6, 7, 14 ता 17, 25 मु० न० 184 के किला न० 5, मु० न० 185 के किला न० 1, 2, 3, कुल रकबा 5.6420 है० बारानी गैर खातेदारी में ख्याली के नाम 1/2 हिस्सा गैर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण का दावा कृषि पेशा था तथा कृषि के अलावा अन्य आजीविका का कोई साधन नहीं था। वादी के दादा ने अपनी कृषि भूमि की आय से बचत करके रोही मोजा ग्राम डोभी के चक 12 बीएचडी के खाता सं० 11/14 के मु० न० 23 के किला न० 24, 25/1, 25/2, मु० न० 25 के किला न० 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 22, 23, 24, 25/1, 25/2 कुल रकबा 3.7950 है० जिसमें नहरी 3.6450 है०, गै० मु० खाला 0.150 है० कृषि भूमि ख्यालीराम के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी व रोही मौजा डोभी बारानी के खाता सं० 24/24 के मु० न० 142 के किला न० 10, 11, 21, 22, मु० न० 143 के किला न० 6, 7, 8, 9, 12 ता 19, 22 ता 25, मु० न० 159 के किला न० 4, 5, मु० न० 160 के किला न० 1, मु० न० 181 के किला न० 10, 11, 12, 13, 18 ता 21, मु० न० 182 के किला न० 6, 7, 8, 13 ता 17, 24, 25 कुल रकबा 10.2980 है० बारानी में ख्याली के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी व रोही मौजा डोभी बारानी के खाता सं० 174/167 के मु० न० 143 के किला न० 2, 3, 4, 5, मु० न० 182 के किला न० 9 ता 12, 18 ता 23, मु० न० 183 के किला न० 6, 7, 14 ता 17, 25 मु० न० 184 के किला न० 5, मु० न० 185 के किला न० 1, 2, 3, कुल रकबा 5.6420 है० बारानी गैर खातेदारी में ख्याली के नाम 1/2 हिस्सा गैर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो वादी के दादा ख्यालीराम की स्व अर्जित भूमि है।

Kalpit  
अधीनस्थ (राजस्व)  
हनुमानगढ़

वसीयत को नोटेरी पब्लिक 23.09.2020 को वसीयत गवाहान वादी के पक्ष में निष्पादित करवाकर उक्त ख्यालीराम ने अपनी सम्पूर्ण खातेदारी भूमि का 1/2 हिस्सा एवं अपनी चल अचल सम्पत्ति की वसीयत वादी के पक्ष में निष्पादित करवा दी थीं उक्त वसीयत ख्यालीराम की अंतिम वसीयत हो गया था एवं उसकी मृत्यु के तुरन्त बाद मुताबिक वसीयत दिनांक 01.04.2021 को वमुकाम डोभी में देहान्त ख्यालीराम पुत्र नानुराम की खातेदारी व गैर खातेदारी भूमि का वादी खातेदार व गैर खातेदार काशतकार हो गया।

चूंकि वादी के दादा ख्यालीराम की मृत्यु वसीयती हुई थी एवं ख्यालीराम की मृत्यु 1956 लागू नहीं हुआ है एवं हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के मुताबिक हिन्दू पुरुष की मृत्यु निर्वसीयती होने पर लागू होता है इस प्रकार मृतक ख्यालीराम की खातेदारी व गैर खातेदारी भूमि में प्रतिवादीया सं० 1 सुन्दरदेवी मृतक ख्यालीराम की पत्नी है व प्रतिवादीया सं० 2 शकुन्तला मृतक ख्यालीराम की पुत्री है व प्रतिवादी सं० 3 भीमसिंह मृतक ख्यालीराम का पुत्र है का ख्यालीराम की भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। परन्तु प्रतिवादी सं० 1 व 2 जिनको मृतक ख्यालीराम द्वारा वादी के पक्ष में अपनी कृषि भूमि व चल अचल सम्पत्ति की वसीयत निष्पादित होने की पूर्ण जानकारी होते हुए भी वे ख्यालीराम की खातेदारी व गैर खातेदारी जो वादभूमि है का विरासतन नामान्तरण अपने नाम दर्ज करवाने पर तुले हुए हैं तथा ऐलानियां धमकी दे रहे हैं कि वे हल्का पटवारी व प्रतिवादी सं० 7 तहसीलदार भादरा से मिलकर वादभूमि का नामान्तरण अपने नाम दर्ज करवायेंगे। ऐसी सूरत में वादी यह घोषणा करवा पाने का कानूनी अधिकारी है की वादी की उपरोक्त वादभूमि ख्यालीराम की खातेदारी व गैर खातेदारी भूमि का तन्हा खातेदार व गैर खातेदार काशतकार है तथा उक्त भूमि में प्रतिवादी सं० 1 ता 5 का कोई हक व हिस्सा नहीं है।

प्रतिवादीया सं० 1 गत 40 सालों से अपने पिता के घर ग्राम कलाना में रहती है व प्रतिवादीया सं० 2 गत 25 वर्षों से गढीछानी में स्थायी रूप से आबाद है। जिनका ग्राम डोभी में आना जाना नहीं है एवं उनका वादभूमि के किसी भी भू भाग पर कभी आधिपत्य नहीं रहा है। जबकि वादी मृतक ख्यालीराम के जीवनकाल से ही काशत करता आ रहा है। वादी ने प्रतिवादी सं० 1 व 2 को उनके आवास पर उपस्थित होकर दिनांक 26.06.2022 को मुताबिक वसीयत दिनांक 23.09.2020 के मृतक ख्यालीराम के नाम दर्ज खातेदारी व गैर खातेदारी वादभूमि का वादी का खातेदार व गैर खातेदार काशतकार घोषित करवाने का कहा तो वे साफ इन्कारी हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं० 2 ता 3 हाजिर अदालत नहीं होने के कारण प्रतिवादी सं० 2 ता 3 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई व प्रतिवादी सं० 1 की ओर से वकील श्री मुंशीराम ने उपस्थिति दर्ज करवाई। व वादी एवं प्रतिवादी सं० 4 व 5 विहान व निशान्त जरिये माता पुनम ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। मुताबिक राजीनामा वादी एवं प्रतिवादी सं० 4 व 5 की माता पूनम उपरोक्त वादभूमि में से वादी के पक्ष में करवाई गई वसीयत में से वादी को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 4 व 5 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा की खातेदार काशतकार घोषित करवाये जाने का निवेदन किया। साक्ष्यवादी में वादी अनिल के ब्यान करवाये गये व साक्ष्य प्रदर्श करवाये गये। उक्त वादभूमि बाबत वसीयत संबंध में वसीयत में उपस्थित रमेश व हुकमदीन गवाहान के ब्यान करवाये गये।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी की ओर से अपने दावा में पेश साक्ष्य के आधार पर पुष्टि करते हुए वादीगण का दादा कृषि पेशा था तथा कृषि के अलावा अन्य आजीविका का कोई साधन नहीं था। वादी के दादा ने अपनी कृषि भूमि की आय से बचत करके रोही मौजा ग्राम डोभी के चक 12 बीएचडी के खाता सं० 11/14 के मु० न० 23 के किला न० 24, 25/1, 25/2, मु० न० 25 के किला न० 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 22, 23, 24, 25/1, 25/2 कुल रकबा 3.7950 है० जिसमें नहरी 3.6450 है०, गै० मु० खाला 0.150 है० कृषि भूमि ख्यालीराम के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी व रोही मौजा डोभी बरानी के खाता सं० 24/24 के मु० न० 142 के किला न० 10, 11, 21, 22, मु० न० 143 के किला न० 6, 7, 8, 9, 12 ता 19, 22 ता 25, मु० न० 159 के किला न० 4, 5, मु० न० 160 के किला न० 1, मु० न० 181 के किला न० 10, 11, 12, 13, 18 ता 21, मु० न० 182 के

किला नं० 17, 24, 25 कुल रकबा 10.2980 है० वारानी में ख्याली के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी व रोही मौजा डोभी वारानी के खाता सं० 174/167 के मु० नं० 143 के किला नं० 2, 3, 4, 5, मु० नं० 182 के किला नं० 9 ता 12, 18 ता 23, मु० नं० 183 के किला नं० 6, 7, 14 ता 17, 25 मु० नं० 184 के किला नं० 5, मु० नं० 185 के किला नं० 1, 2, 3, कुल रकबा 5.6420 है० वारानी गैर खातेदारी में ख्याली के नाम 1/2 हिस्सा गैर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो वादी के दादा ख्यालीराम की स्व अर्जित भूमि है। वादी के दादा ख्यालीराम पुत्र नानुराम की उपरोक्त खातेदारी व गैर खातेदारी भूमि की वसीयत दिनांक 23.09.2020 को बरोबर गवाहान वादी के पक्ष में निष्पादित करवाकर उक्त वसीयत को नोटेरी पब्लिक भादरा से तस्दीक करवा लिया था। उक्त वसीयत में मृतक ख्यालीराम ने अपनी सम्पूर्ण खातेदारी व गैर खातेदारी भूमि का 1/2 हिस्सा एवं अपनी चल अचल सम्पत्ति की वसीयत वादी के पक्ष में निष्पादित करवा दी थीं उक्त वसीयत ख्यालीराम की अंतिम वसीयत थी। वादी के दादा ख्यालीराम पुत्र नानुराम का दिनांक 01.04.2021 को वमुकाम डोभी में देहान्त हो गया था एवं उसकी मृत्यु के तुरन्त बाद मुताबिक वसीयत दिनांक 23.09.2020 के मृतक ख्यालीराम पुत्र नानुराम की खातेदारी व गैर खातेदारी भूमि का वादी खातेदार व गैर खातेदार काश्तकार हो गया। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी सं० 4 व 5 को मुताबिक राजीनामा अनुसार वादी को उक्त वादभूमि में से 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 4 व 5 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा के खातेदार व गैर खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा ग्राम डोभी के चक 12 बीएचडी के खाता सं० 11/14 के मु० नं० 23 के किला नं० 24, 25/1, 25/2, मु० नं० 25 के किला नं० 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 22, 23, 24, 25/1, 25/2 कुल रकबा 3.7950 है० जिसमें नहरी मौजा डोभी वारानी के खाता सं० 24/24 के मु० नं० 142 के किला नं० 10, 11, 21, 22, मु० नं० 143 के किला नं० 6, 7, 8, 9, 12 ता 19, 22 ता 25, मु० नं० 159 के किला नं० 4, 5, मु० नं० 160 के किला नं० 1, मु० नं० 181 के किला नं० 10, 11, 12, 13, 18 ता 21, मु० नं० 182 के किला नं० 6, 7, 8, 13 ता 17, 24, 25 कुल रकबा 10.2980 है० वारानी में ख्याली के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी व रोही मौजा डोभी वारानी के खाता सं० 174/167 के मु० नं० 143 के किला नं० 2, 3, 4, 5, मु० नं० 182 के किला नं० 9 ता 12, 18 ता 23, मु० नं० 183 के किला नं० 6, 7, 14 ता 17, 25 मु० नं० 184 के किला नं० 5, मु० नं० 185 के किला नं० 1, 2, 3, कुल रकबा 5.6420 है० वारानी गैर खातेदारी में ख्याली के नाम 1/2 हिस्सा गैर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो वादी के दादा ख्यालीराम की स्व अर्जित भूमि है। वादी के दादा ख्यालीराम पुत्र नानुराम की उपरोक्त खातेदारी व गैर खातेदारी भूमि की वसीयत दिनांक 23.09.2020 को बरोबर गवाहान वादी के पक्ष में निष्पादित करवाकर उक्त वसीयत को नोटेरी पब्लिक भादरा से तस्दीक करवा लिया था। उक्त वसीयत में मृतक ख्यालीराम ने अपनी सम्पूर्ण खातेदारी भूमि का 1/2 हिस्सा एवं अपनी चल अचल सम्पत्ति की वसीयत वादी के पक्ष में निष्पादित करवा दी थीं उक्त वसीयत ख्यालीराम की अंतिम वसीयत थी। वादी के दादा ख्यालीराम पुत्र नानुराम का दिनांक 01.04.2021 को वमुकाम डोभी में देहान्त हो गया था एवं उसकी मृत्यु के तुरन्त बाद मुताबिक वसीयत दिनांक 23.09.2020 के मृतक ख्यालीराम पुत्र नानुराम की खातेदारी व गैर खातेदारी भूमि का वादी खातेदार व गैर खातेदार काश्तकार हो गया में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि स्व अर्जित सम्पत्ति है जिसमें वादी के दादा ख्यालीराम को वसीयत करने का पूर्ण हक व अधिकार था इससे पूर्व ख्यालीराम द्वारा अपने नाम सम्पूर्ण भूमि में से 1/2 हिस्सा अपने पुत्र भीमसिंह के नाम दर्ज करवा दिया गया था। उसी अनुसार प्रतिवादी सं० 3 भीमसिंह उसी अनुसार काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे साबित हो कि वादभूमि दादालाई कृषि भूमि है। इसलिए वादी के दादा ख्यालीराम द्वारा करवाई गई वसीयत दिनांक 23.09.2020 के अनुसार ख्यालीराम के नाम उपरोक्त वादभूमि में वादी खातेदार व गैर खातेदार काश्तकार है चूंकि दौराने दावा वादी एवं प्रतिवादी सं० 4 व 5 को मुताबिक राजीनामा अनुसार वादी को उक्त वादभूमि में से 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 4 व 5 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा के खातेदार व गैर खातेदार काश्तकार घोषित किये

जाते हेतु निवेदन किया। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा ग्राम डोभी के चक 12 वीएचडी के खाता सं० 11/14 के मु० न० 23 के किला न० 24, 25/1, 25/2, मु० न० 25 के किला न० 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 22, 23, 24, 25/1, 25/2 कुल रकबा 3.7950 है० जिसमें नहरी 3.6450 है०, गैर मु० खाला 0.150 है० कृषि भूमि ख्यालीराम के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी राजस्व वादी अनील पुत्र भीमसिंह को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 4 विहान व प्रतिवादी सं० 5 निशान्त काश्तकार व रोही मौजा डोभी बरानी के खाता सं० 24/24 के मु० न० 142 के किला न० 10, 11, 21, 22, मु० न० 143 के किला न० 6, 7, 8, 9, 12 ता 19, 22 ता 25, मु० न० 159 के किला न० 4, 5, मु० न० 160 के किला न० 1, मु० न० 181 के किला न० 10, 11, 12, 13, 18 ता 21, मु० न० 182 के किला न० 6, 7, 8, 13 ता 17, 24, 25 कुल रकबा 10.2980 है० बरानी में ख्याली के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से ख्यालीराम पुत्र नानू का नाम कलमजन किया जाकर वादी अनील पुत्र भीमसिंह को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 4 विहान व प्रतिवादी सं० 5 निशान्त को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा नाबालिगान जरिये माता पूनम पत्नी विकास को खातेदार काश्तकार व रोही मौजा डोभी बरानी के खाता सं० 174/167 के मु० न० 143 के किला न० 2, 3, 4, 5, मु० न० 182 के किला न० 9 ता 12, 18 ता 23, मु० न० 183 के किला न० 6, 7, 14 ता 17, 25 मु० न० 184 के किला न० 5, मु० न० 185 के किला न० 1, 2, 3, कुल रकबा 5.6420 है० बरानी गैर खातेदारी में ख्याली के नाम 1/2 हिस्सा गैर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से ख्यालीराम पुत्र नानू का नाम कलमजन किया जाकर वादी अनील पुत्र भीमसिंह को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 4 विहान व प्रतिवादी सं० 5 निशान्त को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा नाबालिगान जरिये माता पूनम पत्नी विकास के अनुसार गैर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं व वादभूमि बैंक के रहन होने के कारण उक्त बैंक रहन को वादी अनील व प्रतिवादी सं० 4 व 5 कमशः विहान व निशान्त के हिस्से पर हिस्सानुसार स्थानान्तरित किया जावे। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9/6/25..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में



(कलमजुत शिवरान)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़